भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 418 जिसका उत्तर गुरुवार, 22 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

अदालती मामलों में चूक होने पर जिम्मेदारी

418. श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास अदालती मामलों को निपटाने में हुई चूक के लिए अपने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने हेतु नियमों को शामिल करने की कोई योजना है ;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) न्यायालय मामलों को निपटाने में चूक के लिए उत्तरदायी सरकारी सेवकों/सेवा के सदस्य को दायी बनाने हेतु नियमों को सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील), 1965 और भारतीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1968 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी सेवक/सेवा के सदस्य, ऐसी किसी चूक के लिए विद्यमान नियमों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते है।
